न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–17, जयपुर महानगर–प्रथम, सांगानेर

पीठासीन अधिकारी	: कविता चारण, आर0जे0एस0
दाण्डिक प्रकरण संख्या	: 1577/2007
सीआईएस नंबर	: 9283/2020

सरकार .... ––अभियोगी––

ब ना म

1. राधेश्याम मीणा पुत्र श्री गीगाराम मीणा, निवासी पदमपुरा रोड गोनेर, थाना शिवदासपुरा, जयपुर (मृतक कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 25.04.2016).
2. नाहरू मीणा पुत्र श्री रामकरण मीणा, निवासी नाडी की ढाणी, मोहनपुरा, पुलिस थाना शिवदासपुरा, जयपुर (मृतक कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 03.11.2023).
3. लाला मीणा पुत्र श्री प्रभूनारायण मीणा, निवासी नाडी की ढाणी, मोहनपुरा, पुलिस थाना शिवदासपुरा, जयपुर.

––अभियुक्तगण––

अपराध अन्तर्गत धारा 452, 427 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.

उपस्थित :–

सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से

श्री मनोज कुमावत, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से

::– नि र्ण य –:: **दिनांक : 24.08.2026**

1. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण राधेश्याम मीणा व नाहरू मीणा की दौराने विचारण मृत्यु हो जाने से उनके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। अब प्रकरण में शेष अभियुक्त लाला मीणा के विरूद्ध ही प्रकरण का निस्तारण का किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.08.2007 को परिवादी विश्राम गुर्जर ने एक लिखित रिपोर्ट उपस्थित थाना होकर इस आशय की पेश की कि वह मां भादरिया कार्यालय शिवदासपुरा जो कि वाटिका रोड पर स्थित है, पर कार्य करता है। दिनांक 17.08.2007 को शाम को 06.00 बजे वह ऑफिस के बाहर बैठा हुआ

था। उसके मालिक ऑफिस में नहीं थे। इतने में एक मारूति कार नम्बर आर.जे. 14–सी.सी–247 आई, जिसमें से तीन आदमी उतरकर आए और ऑफिस में घुसकर रैकें खोलने लगे एवं कुर्सी टेबल को उल्टी सीधी गिराकर भाग गए। भागते हुए एक बैग लेकर गए, जिसमें क्या था उसे मालूम नहीं है। उन तीन में से एक आदमी को वह पहचानता है, जो राधेश्याम मीणा गोनेर का रहने वाला है, जो गैस प्लाण्ट पर नाजायज शराब का कार्य करता है, आदि। उक्त रिपोर्ट पर मु.नं. 496/2007 अन्तर्गत धारा 454, 380 भा0द0सं0 में दर्ज किया गया। बाद तफ्तीश अभियुक्तगण राधेश्याम मीणा, नोहरू मीणा व लाला मीणा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 452, 427 भा0द0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस आरोप सुनी गई। अभियुक्त लाला मीणा को भा0द0सं0 की धारा 452, 427 सपठित धारा 34 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. प्रकरण के इस स्तर पर परिवादी एवं अभियुक्त की ओर से राजीनामा पेश किया गया, जिस पर धारा 427 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा पृथक से तस्दीक किया गया। अब प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 452 भा.दं.सं. हेतु विचारण शेष रहा है।

5. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.ड.–1 सीताराम, पी.ड.–2 विश्राम गुर्जर व पी.ड–3 कैलाश के बयान कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–6 आदि दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया गया।

6. अभियुक्त को द0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत परीक्षित किये जाने पर उसने प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करनी चाही, जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

7. बहस अन्तिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा कि अभियोजन द्वारा अपनी समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया है। अन्त में अभियुक्त को आरोपित अपराध हेतु दोष–सिद्व किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का

निवेदन किया। वहीं दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि प्रकरण में उभयपक्षों में राजीनामा हो गया है। किसी प्रकार से आरोपित अपराध मुलजिम के विरूद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध हेतु दोषमुक्त करार दिये जाने का निवेदन किया।

8. बहस अन्तिम सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 17.08.2007 को समय 06.00 पी.एम. या उसके लगभग अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर कैलाश को मारने की तैयारी के साथ सामान्य आशय से अग्रसरित होकर कैलाश की बाईन्स, कार्यालय 12 मील वाटिका, सीतापुरा जयपुर में अवैध रूप से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया ?

(2) यदि हां तो दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

9. मेरे द्वारा वकुलाय की बहस के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा कुल 03 गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध कराई गयी है। चूंकि प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 452, 427 सपठित धारा 34 भा.द.सं के अपराध का आरोप है, जिस पर धारा 427 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जा चुका है, जिससे अभियुक्त के विरूद्ध धारा 452 भा.दं.सं. का विचारण शेष रहता है। इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू–01 सीताराम प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में प्रकरण में अनुसंधान किये जाने बाबत् औपचारिक साक्ष्य दी है।

10. गवाह पी.डब्ल्यू–02 विश्राम गुर्जर जो प्रकरण में परिवादी है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सन् 2007 की बात है। वह ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था और उसके मालिक ऑफिस में नहीं थे। शाम का समय था। एक मारूति कार आर. जे.14–सी.सी.–247 आई और उसमें से दो–तीन आदमी उतरकर ऑफिस में घुसकर आलमारी खोलने लगे और टेबल–कुर्सी गिराते हुए एक बैग लेकर भाग गए और क्या हुआ, उसे मालूम नहीं। रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी–2, नक्शा मौका पर उसके हस्ताक्षर हैं। उनके मध्य राजीनामा होने से वह प्रकरण में कोई

कार्यवाही नहीं चाहता। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि उनके मध्य राजीनामा हो गया है।

11. गवाह पी.डब्ल्यू–3 कैलाश ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि विश्राम ने उसे फोन पर बताया कि राधेश्याम और उसके साथ दो लड़के आए और दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करके कुर्सियां इधर–उधर करके भागकर चले गये। उसने दुकान पर आकर देखा तो दुकान का सामान फैला हुआ था। विश्राम ने बताया कि राधेश्याम, लाला और दो–तीन लोग थे, फिर उन्होंने घटना की सूचना थाने पर दी। उनके मध्य राजीनामा होने के कारण वह प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता। दौराने जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि उनके मध्य राजीनामा हो गया है।

12. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अगर समग्र अवलोकन किया जाए तो प्रकरण में परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू–01 सीताराम ने अनुसंधान किये जाने बाबत् औपचारिक साक्ष्य दी है। गवाह पी.डब्ल्यू–02 परिवादी ने विश्राम गुर्जर ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रकरण के तथाकथित अभियुक्त का नाम अपने मुख्य परीक्षण में ही नहीं लिया है, जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद प्रतीत हो जाती है। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त से राजीनामा होने व प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन किया है। अन्य परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू–03 कैलाश ने यद्यपि अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त लाल का नाम लेते हुए उसके द्वारा दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने संबंधी साक्ष्य अवश्य दी है, परन्तु उक्त गवाह द्वारा उक्त घटनाक्रम परिवादी विश्राम द्वारा उसे बताया जाना बताता है, परन्तु परिवादी विश्राम गुर्जर पी.डब्ल्यू–02 ने स्वयं ही अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त का नाम नहीं बताया है, जिससे गवाह पी. डब्ल्यू–03 कैलाश के कथनों की ताईद नहीं हो पाई है। उक्त दोनों गवाहों ने प्रकरण में राजीनामा होने का कथन किया है। प्रकरण के किसी भी गवाह द्वारा मुलजिम की शिनाख्तगी किये जाने संबंधी साक्ष्य नहीं दी है। प्रकरण में अन्य कोई ऐसा स्वतंत्र साक्षी भी परीक्षित नहीं कराया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त की मौके पर उपस्थिति व उसके द्वारा मौके पर आरोपित अपराध कारित किये जाने संबंधी साक्ष्य दी हो। अतः किसी प्रकार आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ है, जिससे न्यायालय मुल्जिम को उक्त धारा में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित पाता है। इस प्रकार उपयुर्क्त विवेचन से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है, जिससे

अभियुक्त उपयुर्क्त आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 452 भा.दं.सं. हेतु संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का अधिकारी है।

<u>आ दे श</u>

13. अतः अभियुक्त लाला मीणा पुत्र श्री प्रभूनारायण मीणा, निवासी नाडी की ढाणी, मोहनपुरा, पुलिस थाना शिवदासपुरा, जयपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता हेतु संदह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करार दिया जाता है। अभियुक्त को धारा 427 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण राधेश्याम मीणा व नोहरू मीणा की दौराने विचारण मृत्यु हो जाने से उनके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। मुलजिम द्वारा प्रस्तुत 437ए सी.आर.पी.सी. के मुचलके आगामी छह माह तक प्रभावी रहेंगे।

{ कविता चारण }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–17
जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर

14. निर्णय व आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ कविता चारण }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–17
जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर